

मध्य प्रदेश मनोरंजन कर तथा विज्ञापन कर अधिनियम 1936

[क्रमांक 30 वर्ष 1936]

धाराएँ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएँ ।
3. मनोरंजन कर ।
- 3-क. विज्ञापन करारोपण ।
4. उद्ग्रहण की रीति ।
- 4-क. राज्य शासन को विज्ञापन कर के संदाय की प्रतिक्रिया ।
- 4-ख. बिना भुगतान के अथवा रियायती दर पर प्रवेश पर प्रतिबन्धन ।
- 4-ख ख. वातानुकूलन या वायुशीतन की सुविधा के प्रभाव पर निबन्धन ।
- 4-ग. शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।
- 4-घ. अपील ।
5. शास्तियाँ ।
- 5-क. अपराधों का प्रशमन ।
- 5-ख. मनोरंजन के लिए अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण या निलम्बन ।
6. परोपकार्य अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये मनोरंजन ।
- 6-क. धार्मिक अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए विज्ञापन
7. सामान्य छूट की शक्ति ।
8. नियम बनाने की शक्ति ।
9. प्रवेश तथा निरीक्षण ।
- 9-क. लेखाओं तथा दस्तावेजों का पेश किया जाना तथा निरीक्षण किया जाना और परिसरों की तलाशी ।
10. मनोरंजन कर के बकाया की वसूली ।
- 10-क. सदभावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण और वाद तथा अभियोजन पर निबन्धन ।
11. शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन ।
12. स्थानीय प्राधिकार द्वारा मनोरंजन कर के आरोपण पर रोक ।

मध्य प्रदेश मनोरंजन कर तथा विज्ञापन कर अधिनियम 1936

[क्रमांक 30 वर्ष 1936]

यह अधिनियम वर्ष 1936 में क्रमांक 30 पर सेन्ट्रल प्राविन्सेज तथा बरार में अधिनियमित हुआ। तब इसका संक्षिप्त नाम सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार एन्टरटेनमेन्ट्स एण्ड इयूटी ऐक्ट, 1936 था। तदनुसार इसके दीर्घ नाम तथा प्रस्ताव में सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार शब्दों का प्रयोग था। सन् 1920 में एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950, द्वारा अधिनियम के दीर्घ नाम तथा प्रस्तावना में सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार शब्दों के स्थान पर शब्द "मध्य प्रदेश" स्थापित किये गये। परन्तु अधिनियम का संक्षिप्त नाम ज्यों का त्यों बना रहा।

[धारा 1 वर्ष 1956 में वर्तमान मध्य प्रदेश बना। वर्ष 1957 में विधान सभा ने मध्य प्रदेश टेक्सेशन लाज (एक्सटेन्शन) ऐक्ट, 1957 (क्रमांक 18 वर्ष 1957) जो नवम्बर 1, 1957 को प्रवृत्त हुआ; के द्वारा इस अधिनियम में कई संशोधन किये गये तथा इस अधिनियम को सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्रवृत्त कर दिया गया। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम फिर भी ज्यों का त्यों रहा जो वर्ष 1960 में सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार एन्टरटेनमेन्ट्स इयूटी (एम्प्लेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1960 (क्रमांक 14 वर्ष 1960) जो दिनांक 1-4-1960 को प्रवृत्त हुआ, के द्वारा इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम में सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार शब्दों के स्थान पर शब्द "मध्य प्रदेश" प्रतिस्थापित किये गये। अब इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "मध्य प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट्स इयूटी ऐक्ट, 1936 हो गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना सफल करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता अनुभूत की गई। अधिक धन की पूर्ति के लिए मनोरंजन कर में वृद्धि तथा नये "विज्ञापनकर" का आरोपण प्रस्तावित हुआ तदनुसार इस अधिनियम में संशोधन कर इसमें विज्ञापनकर सम्बन्धी प्रावधान जोड़े गये। संक्षिप्त नाम दीर्घ नाम तथा प्रस्तावना को प्रतिनिधिक बनाने के लिए उसमें संशोधन भी किया गया। इस तरह वर्ष 1965 में मध्य प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट्स इयूटी एम्प्लेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1965 (क्रमांक 12, 1965) जो दिनांक 1-4-1965 से प्रवृत्त हुआ, के द्वारा इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम में "इन्टरटेनमेन्ट्स इयूटी" शब्दों के तुरन्त बाद शब्द "एण्ड एडवर्टाइज मेन्ट्स टैक्स" अन्तः स्थापित किये गये। तब से अपने अधिनियम के संक्षिप्त नाम से वर्तमान रूप लिया है, (मध्य प्रदेश मनोरंजन कर तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936)।

मध्य प्रदेश में मनोरंजनों में प्रवेश देने के सम्बन्ध में तथा ऐसे मनोरंजनों में प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों के कतिपय रूपों के सम्बन्ध में कर आरोपित करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना

जबकि नाट्य शालाओं, छविगृहों तथा मनोरंजन के अन्य स्थलों पर प्रवेश के सम्बन्ध में कर तथा ऐसे मनोरंजनों के समय प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों के कतिपय रूपों के सम्बन्ध में कर, आरोपित करने के लिए प्रावधान करना अपेक्षित है;

यह एतद् द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है,--

1. सक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम (मध्य प्रदेश) मनोरंजन कर [तथा विज्ञापन कर] अधिनियम, 1936 कहा जा सकेगा

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में होगा ।

(3) यह मध्य प्रदेश के ऐसे सभी - क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा जिनमें वह मध्य प्रदेश कर विधि (विस्तार) अधिनियम, 1957 के प्रवृत्त होने के सद्व पूर्व प्रभावशील तथा कथित अधिनियम के प्रवृत्त होने पर उन क्षेत्रों में प्रभावशील होगा जिनमें कथित अधिनियम की धारा 6 द्वारा निरस्त कोई अनुरूप विधान प्रभावशील था तथा किन्हीं भी क्षेत्रों में ऐसे दिनांकों को जैसे कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें, प्रभाव में लाया जा सकेगा ।

2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय अथवा सन्दर्भ में प्रतिकूल न हो

(क) 'मनोरंजन में प्रवेश' में समाविष्ट है किसी स्थान में प्रवेश जिसमें मनोरंजन आयोजित हो;

[(क क) 'विज्ञापन' से अभिप्रेत है म. प्र. सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का क्र.

17) के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त छविगृह में अथवा मनोरंजन के किसी अन्य स्थान पर पर्दे पर प्रदर्शित स्लाइड अथवा चलचित्र के माध्यम से किन्हीं वस्तुओं, सम्पत्ति, मनोरंजन व्यापार धन्धा अथवा व्यवसाय की सूचना अथवा अभिज्ञापन ;

[(क क क) 'विज्ञापन कर' से अभिप्रेत है धारा 3-क के अन्तर्गत आरोपित एवं देयकर;

(ख) 'मनोरंजन' में समाविष्ट है कोई प्रदर्शन, अनुष्ठान विनोद खेल अथवा क्रीड़ा जिसमें व्यक्तियों को भुगतान के बदले प्रवेशित किया जाता हो;

[(ग) 'मनोरंजन कर' से अभिप्रेत है धारा 3 के अन्तर्गत आरोपित कर ' (.....) ।

[(ग ग) 'स्थानीय क्षेत्र' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के अर्थ के अन्तर्गत कोई नगरपालिका क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र नगर क्षेत्र अथवा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अर्थ के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र अथवा छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का सं० 2) के अर्थ के अन्तर्गत कोई छावनी अथवा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अर्थ के अन्तर्गत कोई ग्राम;

(घ) "प्रवेश के लिए भुगतान" के अन्तर्गत है

(एक) कोई भुगतान जो मनोरंजन के किसी स्थान में सीटों या अन्य स्थान सुविधा के लिये किसी भी रूप में किया जाये;

(दो) कोई भुगतान जो मनोरंजन के किसी कार्यक्रम या कथासार (सिनोप्सिस) के लिये किया जाय;

(तीन) कोई भुगतान, जो किसी ऐसे उपकरण या यन्त्र के जिससे कोई व्यक्ति सामान्य या अधिक अच्छी तरह से मनोरंजन के ऐसे दृश्य देख सकें या उसकी ध्वनि सुन सकें या उसका आनन्द ले सकें, उधार लेने या उपयोग के लिये किया जाये जो वह व्यक्ति ऐसे उपकरण या यंत्र की सहायता के बिना प्राप्त नहीं कर सकता;

(चार) कोई भुगतान जो मनोरंजन से सम्बन्धित किसी भी प्रयोजन के लिये हो और किसी

भी नाम से ज्ञात हो, जिसे मनोरंजन में उपस्थित होने या उप-स्थित बने रहने की शर्त के रूप में, या तो मनोरंजन में प्रवेश के लिये किसी भुगतान, यदि कोई हो, के अतिरिक्त या मनोरंजन में प्रवेश के लिए बिना किसी ऐसे भुगतान के अतिरिक्त किसी रूप में करने की अपेक्षा किसी व्यक्ति से की जाये;

(पांच) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान मनोरंजन स्थल के एक भाग में प्रवेश दिये जाने के पश्चात् उसके अन्य भाग में प्रवेश दिया जाता है जिसमें प्रवेश के लिए कर या अधिक भार सहित भुगतान करना अपेक्षाएं

स्पष्टीकरण - किसी मनोरंजन के सम्बन्ध में कसा भा रूप में लिया गया अभिदाय या संग्रहीत किया गया संदाय प्रवेश के लिए भुगतान समझा जाएगा-

(ड:) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित; तथा

1. म० प्र० कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क० 9 सन् 1972) जो म० प्र० राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28-4-1972 को पृष्ठ 1472 -1475 पर प्रकाशित हुआ द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. 'या अतिरिक्त शुल्क' शब्दों का लोप अधिनियम क्र० 8 सन् 1982 द्वारा किया गया ।
3. म० प्र० अधिनियम क्रमांक 3 सन् 1991 द्वारा अन्तस्थापित तथा म० प्र० राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1 फरवरी 1991 के पृष्ठ 313 से 314 (5) पर प्रकाशित ।

(च) "स्वामी" में, किसी मनोरंजन के सम्बन्ध में, समाविष्ट से उसके प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी अथवा उसके प्रबन्ध का तत्समय प्रभारी कोई भी व्यक्ति;

(छ) "वीडियो कैसेट रिकार्डर या वी० सी० आर" से अभिप्रेत है कोई ऐसा उपकरण जो ध्वनि और चित्र का श्याम-स्वेत तथा रंगीन दोनों प्रकार का अभिलेखन चुम्बकीय फीते पर करने के लिये और जब आवश्यकता हो तो उन्हें दूरदर्शन के परदे पर पुनः प्रदर्शित करने के लिये या अन्य मशीनों पर अभिलिखित किये गये फीते तथा चलचित्रों के पूर्व अभिलिखित कैसेट दूरदर्शन परदे पर प्रति प्रदर्शित (प्ले बैंक) करने के लिए डिजायन किया गया हो और जो रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारणों के प्रेषण (ट्रान्समिशन) और अभिग्रहण (रिसेप्शन) के लिए उसके साथ आर० एफ० ट्यूनिंग सेक्शन या मानीटर लगा दिये जाने पर मध्य प्रदेश सिनेमा रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1952 (क्रमांक 17 सन् 1952) के अधीन सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त किया जाता है, (और उसके अन्तर्गत है वीडियो कैसेट प्लेयर);

[(ज) "वीडियो कैसेट प्लेयर या वी० सी० पी०" से अभिप्रेत है कोई ऐसा उपकरण जो ध्वनि और चित्र का श्याम श्वेत तथा रंगीन दोनों प्रकार का पुनः प्रदर्शन चुम्बकीय फीते पर करने के लिए और जब आवश्यकता हो तो उन्हें दूरदर्शन के परदे पर पुनः प्रदर्शित करने के लिये या अन्य मशीनों पर अभिलिखित किए गये फीते तथा चलचित्रों के पूर्व अभिलिखित कैसेट दूरदर्शन परदे पर प्रति प्रदर्शित (प्ले बैंक) करने के लिए डिजायन किया गया हो और जो रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारणों के प्रेषण (ट्रान्समिशन) और अभिग्रहण (रिसेप्शन) के लिए

उसके साथ आर० एफ० ट्यून्स सेक्शन या मानीटर लगा दिये जाने पर मध्य प्रदेश सिनेमा रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1952 (क्रमांक 17 सन् 1952) के अधीन सम्यक रूप से अनुज्ञप्त किया जाता है ।]

3. मनोरंजन कर-

[(1) (क) वीडियो कैसेट रिकार्डर (जो इसमें इसके पश्चात् वी० सी० आर० के नाम से निर्दिष्ट है) या वीडियो कैसेट प्लेयर (जो इसमें इसके पश्चात् वी० सी० पी० के नाम से निर्दिष्ट है) द्वारा मनोरंजन से भिन्न किसी मनोरंजन का प्रत्येक मालिक, मनोरंजन में प्रवेश के लिए प्रत्येक भुगतान के सम्बन्ध में, राज्य सरकारें को उस भुगतान के 100 प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान करेगा :

परन्तु मनोरंजन में प्रवेश के लिए पचास पैसे से अनधिक के किसी भुगतान के सम्बन्ध में कोई शुल्क उस दशा में के सिवाय देय नहीं होगा जबकि ऐसा भुगतान किसी स्थाई संरचना में होने वाले चलचित्र प्रदर्शन में प्रवेश के लिये हो :

परन्तु यह और भी कि किसी मनोरंजन के मालिक द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष में 1 मार्च से प्रारम्भ होकर 3० सितम्बर तक की कालावधि के दौरान वातानुकूलित और वायुशीतन की सुविधा प्रदान करने के लिये भारत 10 पैसा प्रति टिकिट तक अतिरिक्त प्रभार के लिए कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा;

(ख) नीचे दी गई सारिणी के कालम (1) में उल्लिखित जनसंख्या वाले नगर में और उक्त सारिणी में उल्लिखित परदे के आकार पर वी० सी० आर० द्वारा किए गए किसी मनोरंजन का प्रत्येक मालिक, राज्य सरकार, को प्रतिमास उस दर से जो सारिणी के कालम (2) और (3) में की तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है शुल्क का भुगतान करेगा :

सारिणी

क्रमांक	जन-संख्या	परदे का आकार	
		51 सेंटीमीटर तक (रुपये प्रतिमाह)	[15 से.मी. से अधिक (रुपये प्रतिमाह)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	10,000 तक	(अ) 2626.00	(अ) 3937.00
		(आ) 1125.00	(आ) 1687.00
2.	10,001 से	(अ) 3375.00	(अ) 5062.00
	20,000 तक	(आ) 1687.00	(आ) 2530.00
3.	20,001 से	(अ) 4500.00	(अ) 6750.00
	50,000 तक	(आ) 2250.00	(आ) 3375.00
4.	50,001 से	(अ) 6000.00	(अ) 9000.00
	1,00,000 तक	(आ) 3000.00	(आ) 4500.09
5.	1,00,000 से अधिक	समस्त श्रेणियों के प्रत्येक टिकिट के विक्रय पर 100 प्रतिशत	समस्त श्रेणियों के प्रत्येक टिकिट के विक्रय पर 100 प्रतिशत

- जहां सिनेमा है ।

जहाँ सिनेमा नहीं है ।

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, शुल्क में वृद्धि या कमी ऐसे अन्तराल में कर सकेगी जो दो वर्ष से कम न हो, जहाँ दर से वृद्धि की जाती है वहाँ वह तत्समय प्रवृत्त दर के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त परन्तुक के अधीन की प्रत्येक अधिसूचना विधान सभा से पटल पर रखी जायेगी और मध्य प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1938) की धारा 24-क के उपबन्ध उसको उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी नियम को लागू होते हैं ।

(1-क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई शुल्क उस मास के ठीक आगामी मास से देय नहीं होगा जिसमें ऐसा मालिक वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वी० सी० आर० का प्रदर्शन बन्द कर देता है और उस प्रभाव की लिखित सूचना ऐसे अधिकारी को ऐसे प्रारूप में देता है और ऐसे निबन्धनों और शर्तों को पूरा कर देता है जैसा विहित किया जाये

(1-ख) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन देय शुल्क ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को और ऐसी रीति में भुगतान किया जायेगा या उसके द्वारा संग्रहीत किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाये ।

(2) जहां किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान पिण्ड-राशि के माध्यम से किसी व्यक्ति को अभिदान अथवा अंशदान के रूप में देकर, अथवा सीजन टिकिट के लिए अथवा मनोरंजन की किसी शृंखला में अथवा एक निश्चित कलावधि में किसी मनोरंजन में, प्रवेश के अधिकार के लिये देकर, अथवा बिना अतिरिक्त भुगतान के अथवा घटाये हुये प्रभार पर किसी मनोरंजन में प्रवेश के अधिकार के साथ संयुक्त अथवा प्रवेश के ऐसे अधिकार को संग्रहित करते हुये किसी विशेषाधिकार, सुविधा अथवा वस्तु के लिये देकर, किया जावे तो मनोरंजन कर ऐसे पिण्ड-राशि की मात्रा पर चुकाया जायेगा :

परन्तु जहां राज्य शासन की यह राय हो कि पिण्ड-राशि का भुगतान, मनोरंजन में प्रवेश के परे के किन्ही अन्य विशेषाधिकारों अधिकारों अथवा प्रयोजनों के लिये भुगतान, का प्रतिनिधित्व करता है, अथवा किसी ऐसी अवधि में मनोरंजन के लिए प्रवेश को वेष्टित करता है जिसमें कर प्रवर्तन में नहीं रहा है तो कर ऐसी राशि पर लिया जायगा जो राज्य शासन को ऐसे मनोरंजनों, जिनके सम्बन्ध में मनोरंजन, कर देय हो, में प्रवेश के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है ।

[(3) (क) [उपधारा (1) के खण्ड (क)] के अधीन देय मनोरंजन शुल्क को संगणना करने में

-

(एक) जहां देय शुल्क पचास पैसे से कम हो, वहां वह शुल्क पाँच पैसे के निकटतम उच्चतर

गुणित में रखा जायगा;

(दो) जहां देय शुल्क पचास पैसे से अधिक हो, वहां वह शुल्क पाँच पैसे के निकटतम उच्चतर गुणित में रखा जायगा;

(ख) प्रवेश सम्बन्धी ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में, जो दो रुपये से अधिक का हो किन्तु दो रुपये पाँच पैसे से अधिक का न हो, किन्तु मनोरंजन शुल्क की संगणना करने में पाँच पैसे था उसके भाग पर ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

[3 क. विज्ञापन करारोपण - (1) किसी मनोरंजन में प्रदर्शित किये गये प्रत्येक विज्ञापन पर विज्ञापन कर नीचे विनिर्दिष्ट की गई दरों पर उद्ग्रहीत किया जायेगा तथा राज्य सरकार को चुकाया जायेगा -

(एक) (क) गत जनगणना के अनुसार एक लाख या उससे अधिक जन- संख्या वाले नगरों में ।	प्रतिदिन 1.00 रुपये के तथा एक मास के लिए 25.00 से अनधिक के अध्यक्षीन रहते हुये प्रत्येक खेल में प्रति स्लाइड के लिये 50 पैसे ।
(ख) अन्य क्षेत्रों में ।	प्रतिदिन 50 पैसे के तथा एक मास के लिये 12.50 रुपये से अनधिक के अध्यक्षीन रहते हुये प्रत्येक खेल में प्रति स्लाइड के लिये 25 पैसे ।
(दो) फिल्मों तथा परिचय चित्र (ट्रेलर्स) ।	प्रतिदिन 2.00 रुपयों के तथा एक मास के लिये 50.00 से अनधिक के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रत्येक खेल में प्रति फिल्मों प्रति परिचय चित्र (ट्रेलर) के लिये 75 पैसे ।

(2) स्वामी द्वारा विज्ञापन कर राज्य शासन को विहित रीति में चुकाया जायेगा ।

[4. उद्ग्रहण की रीति - (1) इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय [बी सौ० आर० द्वारा मनोरंजन से भिन्न किसी भी मनोरंजन में किसी भी व्यक्ति को केवल ऐसे टिकिट से ही प्रवेश दिया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये धारा 3 के अधीन देय शुल्क के बराबर के अभिहित मूल्य के निमुद्रित (इम्प्रेसड), उभरे हुये, उत्कीर्ण या चिपकाये जाने वाले स्टाम्प (जो पूर्व में प्रयोग में न लाया गया हो) से स्टाम्पित किया हुआ हो ।

[(1 - क) का लोप किया गया ।]

[(2) राज्य सरकार, वी० सी. आर० द्वारा मनोरंजन से भिन्न किसी ऐसे मनोरंजन, जिसके कि सम्बन्ध में मनोरंजन शुल्क धारा 3 के अधीन देय हो, के किसी मालिक द्वारा आवेदन किये जाने पर ऐसे स्वामी को इस बात के लिये अनुज्ञात कर सकेगी कि वह शोध्य शुल्क की रकम का भुगतान एतद्धीन विनिर्दिष्ट किये गये ढंगों में से किसी एक ढंग से जिसे कि राज्य सरकार उचित समझे तथा ऐसी रीति में एव ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुये करे

जैसा कि विहित किया जाये, अर्थात् -

(क) ऐसे प्रतिशत के, जो उस कुल राशि के, जो कि स्वामी ने मनोरंजन में प्रवेश सम्बन्धी भुगतानों के मुद्दे तथा राज्य सरकार द्वारा नियत किये जाने वाले शुल्क के मुद्दे प्राप्त की हो, चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगा, समेकित भुगतान द्वारा;

(ख) मनोरंजन में प्रवेश सम्बन्धी भुगतानों तथा शुल्क के मुद्दे भुगतानों की विवरणियों के अनुसार;

(ग) जिन व्यक्तियों को प्रवेश दिया गया हो, उनकी संख्या को स्वतः रजिस्टर करने वाली किसी यान्तिक प्रयुक्ति द्वारा अभिलिखित किये गये परिणामों के अनुसार;

[(घ) धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के बदले में, नीचे दी गई सारिणी में उल्लिखित पद्धति के अनुसार संगणित शुल्क के ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुये, जैसी विहित की जाए, प्रशमन द्वारा-

सारिणी

अनुक्रमांक	जनसंख्या	प्रशमन किया गया मनोरंजन शुल्क
(1)	(2)	(3)
1.	किसी स्थानीय क्षेत्र की 25,000 तक ।	बैठने की पूर्ण क्षमता पर संगणित मनोरंजन शुल्क का 20 प्रतिशत ।
2.	किसी स्थानीय क्षेत्र की 25,001 के 50,000 तक ।	बैठने की पूर्ण क्षमता पर संगणित मनोरंजन शुल्क का 25 प्रतिशत ।
3.	किसी स्थानीय क्षेत्र की 50,001 से 1,00,000 तक ।	बैठने की पूर्ण क्षमता पर संगणित मनोरंजन शुल्क का 30 प्रतिशत

परन्तु प्रशमन किये गये शुल्क की रकम की कालम (3) में उल्लिखित दरों पर संगणना उन खेलों की विचार संख्या को विचार में लाये बिना जो उस मास में प्रदर्शित किये जाएँ, एक मास में केवल 90 खेलों के लिये की जायेगी ।

(ड.) मनोरंजन शुल्क के बदले में ऐसी राशि के, जो कि राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी द्वारा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार नियत की जायगी जैसे कि विहित किये जाये, अग्रिम समेकित भुगतान द्वारा; और

(च) प्रवेश सम्बन्धी भुगतान, जिसमें उस पर शोध्य मनोरंजन शुल्क भी सम्मिलित है, के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से मुद्रित किये गये उन टिकिटों के लिए, जिनका कि उपयोग मनोरंजन में प्रवेश के लिये किया जायेगा, अग्रिम समेकित भुगतान द्वारा ।]

[(3) इस धारा की उपधारा (1) [.....] तथा धारा 5 के उपबन्ध किसी एऐसे मनोरंजन

को, जिसके सम्बन्ध में दातव्य मनोरंजन शुल्क उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार देय हो, लागू नहीं होंगे ।]

[(4) किसी मनोरंजन का स्वामी, ऐसे अभिलेख, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विहित किया जाय, बनाये रखेगा ।]

[4-क. राज्य शासन को विज्ञापन कर के संदाय की प्रक्रिया - (1) स्वामी, ऐसे समय पर तथा ऐसी रीति में तथा ऐसे अधिकारी को, जैसे कि विहित किये जावें, मनोरंजन में प्रदर्शित विज्ञापनों की पूर्ण सखया उल्लिखित करते हुए, एक विवरण अग्रेषित करेगा तथा विहित समय पर ऐसे अधिकारी को उस मनोरंजन के लिए कर की राशि का भुगतान करेगा ।

(2) स्वामी ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रारूप में ऐसे अभिलेख रखेगा जैसे कि विहित किये जाये ।]

[4-ख. बिना भुगतान के अथवा रियायती दर पर प्रवेश प्रतिबन्धन -

कोई स्वामी [वी० सी० आर० द्वारा मनोरंजन से भिन्न किसी भी मनोरंजन] में किसी व्यक्ति को उसमें प्रवेश के लिये भुगतान के बिना अथवा रियायती दरों पर प्रवेशित नहीं करेगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में देय मनोरंजन शुल्क उस वर्ग जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रवेशित किया गया है, के टिकिट के पूरे मूल्य पर [.....] नहीं चुकाया जा चुका हो ।

[परन्तु इस धारा में की कोई बात रियायती दरों पर प्रवेश के सम्बन्ध में -

(क) व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को; तथा

(ख) ऐसे मनोरंजन अथवा मनोरंजन के वर्ग को;

लागू नहीं होगी जैसे कि राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे ।]

[4-खख वातानुकूलन या वायुशीतन की सुविधा के प्रभाव पर निबन्धन - वी० सी० आर० द्वारा मनोरंजन से भिन्न किसी मनोरंजन का कोई मालिक वातानुकूलन या वायुशीतन की सुविधा के लिए कोई प्रभार ऐसी सुविधा उपलब्ध कराये बिना नहीं लेगा ।]

[4 ग. शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति - यदि मनोरंजन में किसी स्थान का निरीक्षण करने पर या उन अभिलेखों एवं लेखाओं की तथा स्टाम्पों की उन स्टार्कों की, जो कि किसी स्वामी द्वारा रखे जाते हों, परीक्षा करने के पश्चाद आबकारी आयुक्त या कोई अन्य अधि-कारी, जो राज्य सस्कार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया जाय, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस अधिनियम के अधीन देय मनोरंजन शुल्क. या विज्ञापन कर का स्वामी द्वारा अपवंचन किया गया है, तो वह, स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, (उस शुल्क या कर का, जो कि स्वामी द्वारा देय हो, अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार निर्धारण ठीक पूर्ववर्ती ऐसी कालावधि के लिए, जो तीस दिन से अधिक की नहीं होगी, इस प्रकार कर सकेगा मानो कि ऐसा अपवंचन ऐसी सम्पूर्ण कालावधि के दौरान होता रहा हो और वह यह निदेश दे सकेगा कि स्वामी इस प्रकार अवधारित किये गये यथास्थिति शुल्क या कर

की रकम के अतिरिक्त ऐसी राशि का, जो कि किसी कलेण्डर वर्ष में ऐसे प्रथम अपवंचन के लिए, उस रकम के आधे के बराबर होगी तथा उसी वर्ष में द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपवंचन के लिए, उस रकम के दुगुने से अधिक नहीं होगी किन्तु आधे से कम नहीं होगी, शक्ति के रूप में भुगतान करे ।

तालिका

रकम (1)	शुल्क या कर और शास्ति का अनुपात (2)
जहां शुल्क या कर और शास्ति की रकम एक हजार रुपयों से अधिक हो ।	शुल्क या कर और शास्ति की पूरी रकम ।
जहां शुल्क या कर और शास्ति की रकम एक हजार रुपयों से अधिक हो	एक हजार रुपये या शुल्क या कर और शास्ति की रकम का एक तिहाई, जो भी अधिक हो ।

[5 क. अपराधों का प्रशमन - (1) ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जैसी कि विहित की जावे आबकारी आयुक्त अथवा आबकारी विभाग का ऐसा अन्य अधिकारी जैसा कि राज्य शासन द्वारा इस बारे में प्राधिकृत किया जावे -

(क) मनोरंजन कर अथवा विज्ञापन कर, जिनका धारा 3 अथवा 3-क, जैसी स्थिति हो, के अन्तर्गत त भुगतान किया जाना चाहिये था की राशि [बीस गुने] से अनाधिक धन को स्वीकार कर इस अधिनियम के अन्तर्गत के किसी भी अपराध का प्रशमन कर सकेगा ।

(ख) [पांच हजार] रुपयों से अनाधिक धन को स्वीकार कर, इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों को भंग करने से सम्बन्धित किसी भी अपराध का प्रशमन कर सकेगा ।

(2) अपराध के प्रशमन पर उसके अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध उसके सम्बन्ध से आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा यदि किसी न्यायालय में पहले ही से उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, तो प्रशमन ऐसे व्यक्ति की दोष-मुक्ति का प्रभाव रखेगा ।

[5-ख. मनोरंजन के लिए अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण या निलम्बन- (1) किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर या आबकारी आयुक्त आदेश द्वारा किसी मनोरंजन के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति की दण्ड के तौर पर तीन माह से अनधिक कालावधि के लिये प्रतिसंहत या निलम्बित कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मालिक ने-

(क) किसी व्यक्ति को मनोरंजन के किसी स्थान में शुल्क या कर का भुगतान किये बिना प्रवेश

दिया है; या

(ख) उससे शोध्य किसी शुल्क या कर का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया है; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन शोध्य किसी शुल्क या कर के भुगतान का कपटपूर्वक अपवंचन किया है; या

(घ) किसी अधिकारी को अभिलेखों का निरीक्षण करने में बाधा पहुँचाई है; या

(ङ) इस अधिनियम के अधीन ऐसा निरीक्षण करने वाले किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये अपेक्षित अभिलेख पेश नहीं किया है; या

(च) इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबन्धों का या किसी ऐसे उपबन्ध के अधीन जारी किये गये किसी आदेश या निर्देश का उल्लंघन किया है परन्तु जहां उपरोक्त अधिकारियों में से किसी एक ने इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है वहाँ दूसरे अधिकारी को उसी विषय के सम्बन्ध में तत्पश्चात्पूर्वी कार्यवाहियां यदि प्रारम्भ की गई हैं, प्रभावहीन हो जायेगी तथा बन्द कर दी जायेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत या निलम्बित करने का कोई आदेश, अनुज्ञप्ति के धारक को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु कलेक्टर या आबकारी आयुक्त की यह राय है कि की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का उद्देश्य विलम्ब के कारण विफल हो जायेगा तो वह अनुज्ञप्ति के धारक को वे आधार, जिन पर कार्यवाही प्रस्तावित है, संसूचित करते समय या उसके पश्चात्, अनुज्ञप्ति निलम्बित करते हुये, अन्तरिम आदेश पारित कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण या निलम्बन के किसी आदेश से व्यथित: कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश संसूचित किये 'जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, राज्य सरकार को, ऐसी रीति में अपील प्रस्तुत कर सकेगा जो विहित की जाये और अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा

6. परोपकार्य का अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये मनोरंजन- (1) यदि [कलेक्टर] सन्तुष्ट हो कि-

(क) मनोरंजन की सम्पूर्ण आय, आय पर मनोरंजन के किन्हीं भी खर्चों के प्रभार के बिना परोपकारी अथवा धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए समर्पित है; अथवा

(ख) मनोरंजन पूर्णतः शैक्षणिक प्रकृति का है, अथवा

(ग) मनोरंजन, लाभ के लिये न संचालित अथवा स्थापित संघ, संस्था अथवा समिति द्वारा आशिक रूग् से शैक्षणिक और आशिक रूप से वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये दिया जाता है, तो उस मनोरंजन में प्रवेश के लिये भुगतान पर मनोरंजन कर उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा ।

1 जहां [कलेक्टर] सन्तुष्ट हो कि मनोरंजन का सम्पूर्ण शुद्ध आगम परोपकारी अथवा धार्मिक प्रयोजनों के लिये समर्पित किया जा चुका है अथवा किया जाना है और मनोरंजन के समस्त व्यय प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, तो ऐसे मनोरंजन के सम्बन्ध में परिदत्त मनोरंजन कर की राशि स्वामी को प्रत्यर्पित कर दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (1936 का सं० 30) की धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार फिल्म सोसायटियों/फिल्म क्लबों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों को उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा छूट प्रदान करती है-

1. केवल ऐसी सोसायटियां/क्लब ऐसी छूट के पात्र होंगे, जो फर्म्स और सोसायटीज ऐक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों ।
2. फिल्म केवल सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो उनके कुटुम्ब के वास्तविक सदस्य हों, को ही प्रदर्शित की जायगी ।
3. प्रदर्शित की जाने वाली फिल्म की विनिर्दिष्ट विशिष्टियां देते हुये प्रदर्शन की तारीख, समय और स्थान की सूचना कम से कम तीन दिन अग्रिम में सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी और कलेक्टर को दी जायगी ।
4. यदि फिल्म के प्रदर्शन के लिये सदस्यों से कोई रकम संग्रहित की गई हो तो उसका हिसाब पृथक से रखा जायगा और सम्बन्धित कलेक्टर/जिला आबकारी अधिकारी को उसके परीक्षण करने का अधिकार होगा ।

[7. सामान्य छूट की शक्ति - राज्य शासन सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा -

(एक) किसी मनोरंजनों अथवा मनोरंजनों के वर्ग को धारा 3 की प्रभावशीलता से,

(दो) किसी विज्ञापन अथवा विज्ञापनों के वर्ग की धारा 3-क की प्रभावशीलता से छूट दे सकेगा ।

8. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य शासन मनोरंजन कर (तथा विज्ञापन)कर का संदाय सुरक्षित करने के लिए तथा सामान्यतः इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम से संगत, नियम बना सकेगा ।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य शासन -

(क) मुद्रांकों अथवा मुद्रांकित टिकिटों के प्रदाय तथा प्रयोग के लिये, अथवा मुद्रांकन के लिए, भेजे गये टिकिटों को मुद्रांकित करने के लिये तथा जब प्रयुक्त हो जावें तो मुद्रांकी का विरूपण सुनिश्चित करने के लिए;

(ख) एक व्यक्ति से अधिक का प्रवेश वेष्टित करने वाले टिकिट के प्रयोग तथा उस पर कर की संगणना के लिये, तथा मनोरंजन के स्थल के एक भाग से दूसरे को अन्तरण पर तथा सीटों अथवा अन्य स्थान के लिये भुगतान पर कर के संदाय के लिये ;

(ग) मनोरंजन में प्रवेश सम्बन्धी भुगतान के लिये यान्त्रिक उपायों के प्रयोग के नियंत्रण (भिन्न राशि के भुगतान के लिये उसी यान्त्रिक उपाय के प्रयोग के निवारण को सम्मिलित करते हुये) के लिये, तथा ऐसे भुगतानों का उचित अभिलेख सुनिश्चित करने के लिये;

[(ग-एक) बिलुप्त ।

(ग-दो) धारा 3 की उपधारा (1-क) के अधीन वह अधिकारी जिस और वह प्रारूप जिसमें सूचना दी जा सकेगी तथा वे तथा शर्तें जिनकी पूर्ति की जायेगी;

(ग-तीन) धारा 3 की उपधारा (1-ख) के अधीन वह रीति जिसमें तथा वह अधिकारी या प्राधिकारी जिसको शुल्क चुकाया जा सकेगा या जिसके द्वारा वह संग्रहीत या वसूल किया जा सकेगा ।)

[(घ) (एक) ऐसे मनोरंजन के, जिनके कि सम्बन्ध में मनोरंजन शुल्क धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार देय है, स्वामियों द्वारा प्रवेशों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की जाने, उसके द्वारा लेखाओं को रखे जाने तथा विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने के लिये ।

(दो) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें जिनके कि अध्यक्षी न किसी स्वामी को धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने को अनुज्ञात किया जायेगा, विहित करने के लिये ।

(तीन) वे सिद्धान्त, जिनके कि अनुसार धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) के अनुसार समेकित भुगतान किया जा सकेगा, विहित करने के लिये ।

[(ड.) वह समय विहित करने के लिये जिसके कि भीतर धारा 4-घ की उपधारा (1) के अधीन अपील की जायेगी ।

(च) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रयुक्त समस्त मुद्राओं का हिसाब रखने के लिये ।

(छ) मनोरंजन शुल्क [अथवा विज्ञापन कर] के संदाय से छूट के प्रार्थना-पत्रों के प्रस्तुतीकरण तथा निपटारे के लिए अथवा उसके प्रत्यर्पण के लिए; तथा

(ज) गणवेश में ब्रिटिश सैनिकों की मनोरंजन कर से मुक्ति के लिये;

[(ज-1) समय जिस पर तथा ढंग जिसमें तथा अधिकारी जिसको स्वामी द्वारा विज्ञापन कर का भुगतान किया जायेगा, विहित करने के लिए ।

(ज-2) समय जिस पर तथा ढंग जिसमें तथा अधिकारी जिसको विवरण अग्रेषित किया जायेगा, विहित करने के लिये;

(ज-3) अभिलेख तथा वह प्रारूप तथा वह ढंग जिसमें स्वामी द्वारा ऐसा अभिलेख रखा जायेगा, विहित करने के लिये;

(ज-4) वे शर्तें अधिकथित करने के लिए, जिनके कि अध्यक्षीन रहते हुये आबकारी आयुक्त या कोई प्राधिकृत अधिकारी स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह धारा 9-क की उपधारा (1) के अधीन लेखे, रजिस्टर तथा दस्तावेज पेश करे या कोई जानकारी दे;

[(झ) किसी अन्य विषय-वस्तु के लिये जो विहित की जानी हो अथवा की जावे ।

(3) समस्त नियम पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यक्षीन होंगे ।

(4) कोई नियम बनाने में राज्य शासन निर्देश दे सकेगा कि उसका उल्लंघन ऐसे जुर्माने

से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

[(5) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएँगे ।"

9. प्रवेश तथा निरीक्षण - (1) राज्य शासन किसी भी अधिकारी को जो पुलिस के उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, मनोरंजन के किसी भी स्थान में जबकि मनोरंजन चल रहा हो, अथवा किसी भी ऐसे स्थान में जो साधारणतः मनोरंजन के स्थान के रूप में प्रयुक्त होता हो, किसी भी उचित समय पर यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या उसमें इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा उनके अन्तर्गत बने किसी नियम का उल्लंघन है, प्रवेश करने तथा निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक मनोरंजन का स्वामी अथवा मालिक अथवा साधारणतः मनोरंजन के स्थान के रूप में प्रयुक्त किसी भी स्थान का प्रभारी व्यक्ति निरीक्षण करने वाले

[धारा 9-क अधिकारी को उपधारा (1) के अन्तर्गत उसके कर्तव्यों के पालन में प्रत्येक उचित सहयोग देगा ।

(3) निरीक्षण करने वाले अधिकारी से किसी मनोरंजन में उसके प्रवेश के लिये भगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

[10 मनोरंजन शुल्क आदि के बकाया की वसूली - उस मनोरंजन शुल्क का या उस विज्ञापन कर का या किसी ऐसी शास्ति का, जिसका कि उद्ग्रहण इस अधिनियम के अधीन किया जाता हो या किसी ऐसी राशि का, जो धारा 5-क के अधीन अपराध के समन के सम्बन्ध में देय हो (अन्त-स्थापित) कोई बकाया भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा ।

टिप्पणी

वसूली का उपबन्ध - शेष भू-राजस्व की वसूली सम्बन्धी उपबन्ध के लिए म० प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 155 देखिये ।

[10 क. सदभावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण और बाद तथा अभियोजन पर निबन्धन- (1) राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध, किसी भी ऐसे कार्य के लिए, जो कि अधिनियम के अधीन किया गया हो या जिसका इस अधिनियम के अधीन किया जाना तात्पर्यित हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही राज्य सरकार की पूर्व मन्सूरी के बिना नहीं होगी ।

(2) राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी या सेवक किसी सिविल या दाण्डिक कार्य- वाही में किसी भी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में दायी नहीं होगा यदि वह कार्य इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निष्पादन के अनुक्रम में या इस अधि- नियम के द्वारा या उसके अधीन उसको सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के अनुक्रम में सदभाव पूर्वक किया गया हो ।

(3) किसी भी ऐसी बात के सम्बन्ध में जो कि इस अधिनियम के अधीन की गई हो या जिसका उस तरह किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद राज्य सरकार के विरुद्ध

संस्थित नहीं किया जायेगा तथा कोई भी अभियोजन या बाद राज्य सरकार के सेवक के विरुद्ध संस्थित नहीं किया जायेगा यदि ऐसा वाद या अभियोजन उस कार्य की, जिसकी कि शिकायत की गई हो तारीख से तीन मास के भीतर संस्थित ने कर दिया गया हो परन्तु इस उपद्वय परा के अधीन न परिसीमा की कालावधि की संगणना करने में वह समय जो उपधारा (1) के अधीन मकरी अभिप्राप्त करने में लगा हो छोड़ दिया जायेगा ।

11 शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन - राज्य शासन ऐसी शर्तों के अध्याधीन जैसी कि वह लगाना ठीक समझे, इम अधिनियम के अन्तर्गत अपनी अथवा कोई भी शक्तियां तथा कार्य कि सी भी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(दो) म० प्र० मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर नियम, 1942 के नियम 16-क के, आबकारी आयुक्त म० प्र० को ।

[12 स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मनोरंजन कर के आरोपण पर रोक - (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में किसी भी बात के होते हुये भी, मध्य प्रदेश कराधान विधि (विस्तारण) अधिनियम, 1957 के प्रवर्तन में आने 'के दिनांक को या उसके पश्चात्, कोई स्थानीय प्राधिकारी, किसी मनोरंजन पर या उसके सम्बन्ध में, ऐसे दिनांक के पश्चात् की किसी अवधि के सम्बन्ध में, शुल्क या कर आरोपित या वसूल नहीं करेगा ।

(2) राज्य शासन ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को, जिसने मध्य प्रदेश कराधान विधि (विस्तारण) अधिनियम, 1957 के प्रवर्तन में आने के पूर्व मनोरंजन के सम्बन्ध से कर या शुल्क आरोपित कर दिया था, ऐसी अवधि के लिये तथा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जैसे कि इस बारे में विहित किये जावे, वार्षिक सहायक अनुदान देगा ।

[(3) इस धारा में की गई कोई बात किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत आरोपणीय प्रदर्शन कर के आरोपण पर लागू नहीं होगी-

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिये 'प्रदर्शन कर' से अभिप्रेत है प्रत्येक-प्रदर्शन अथवा अनुष्ठान के लिये निश्चित राशि के रूप में मनोरंजन के स्वत्व पर आरोपणीय करे ।